।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 1/212 तारीख रज्जू 18.10..2018

01– चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र श्री लाल सिंह जाति गुर्जर आयु करीब 65 साल निवासी ग्राम धौकडी तहसील व जिला अलवर –वादी

बनाम

01– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, अलवर –प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

2018/331

–: निर्णय :– दिनांक: 16.10.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 0.61 है०, 106 रकबा 0.59 है० में से 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 37 रकबा 0.05 है०, 38 रकबा 0.28 है०, 39 रकबा 0.28 है०, 40 रकबा 0.60 है०, 41 रकबा 0.07 है०, 42 रकबा 0.03 है०, 43 रकबा 0.05 है०, 44 रकबा 0.03 है०, 45 रकबा 0.03 है०, 46 रकबा 0.03 है० कुल किता 10 रकबा 1.45 है० एवं खसरा नम्बर 149 रकबा 0.31 है०, 150 रकबा 0.32 है०, 51 रकबा 0.64 है०, कुल किता 3 रकबा 1.27 है० में से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम शाहपुर तहसील व जिला अलवर व खसरा नम्बर 197 रकबा 0.07 है०, 198 रकबा 0.13 है०, 33 रकबा 0.25 है० 34 रकबा 0.25 है०, 35 रकबा 0.01 है०, 36 रकबा 0.14 है०, 48 रकबा 0.41 है०, 54 रकबा 0.12 है०, 55 रकबा 0.11 है०, 55/709 रकबा 0.09 है०, 59 रकबा 0.44 है०, 60 रकबा 0.31 है०, 61 रकबा 0.40 है०, 65 रकबा 0.32 है०, 66 रकबा 0.28 है०, 67 रकबा 0.35 है०, 68 रकबा 0.26 है०, 69 रकबा 0.35 कुल किता 18 रकबा 4.28 है० में से 1/3 हिस्सा वाके ग्राम धौकडी तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जो वादी के पूर्वजो की पैतृक आराजी है। विवादित आराजी में से अपने अपने हिस्से

सहायक कलक्टर अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

पर वादी एवं सहखातेदार काबिज काश्तकार है। विवादित आरजी में वादी का समस्त आराजी में नाम चन्द्र उर्फ चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र लाल सिंह दर्ज रिकार्ड है। राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय भूल के कारण वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खसरा नम्बर 105, 106 वाके ग्राम शाहपुर में केवल मात्र बन्दर पुत्र लाल सिंह अन्य खसरा नम्ब्रान राजस्व रिकार्ड में चन्दर पुत्र लालसिंह दर्ज कर दिया। जबकि वादी का वास्तविक नाम रिकार्डेड नाम चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र लाल सिंह है।

वादी को अपने नाम के गलत अंकन होने की जानकारी जब वादी द्वारा अपने कृषि. ऋण हेतुं पटवारी हलका से जमाबन्दी प्राप्त करने के बाद उसका बैंक से अवलोकन कराने पर हुई । रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम चन्द उर्फ बन्दर के स्थान पर बन्दर पुत्र लालसिह एवं चन्दर पुत्र लाल सिंह दर्ज कर दिया गया जिसको दुरूस्त कराने हेतु तहसील कार्यालय अलवर एवं पटवारी हलका को निवेदन किया ता उन्होने दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। इस लिए वादी को दिनांक 10.09. 2018 को बिनाय दावी एवं बिनाय मुखास्मत पैदा हुई। प्रतिवादी संख्या–2 वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पदन कर रहा है। इस कारण विवादित आराजी का घोषणात्म्क दावा कराना लाजिम आया है। गलत इन्द्राज के कारण वादी अपनी आराजी पर कृषि ऋण की सुविधा को प्राप्त नही कर पा रहा है। इस कारण प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति हो रही है।

अतः आराजी हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 0.61 है०, 106 रकबा 0.59 है० में से 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 37 रकबा 0.05 है०, 38 रकबा 0.28 है०, 39 रकबा 0.28 है०, 40 रकबा 0.60 है०, 41 रकबा 0.07 है०, 42 रकबा 0.03 है०, 43 रकबा 0.05 है०, 44 0.03 है०, 45 रकबा 0.03 है०, 46 रकबा 0.03 है० कुल किता 10 रकबा 1.45 है० एवं खसरा नम्बर 149 रकबा 0.31 है०, 150 रकबा 0.32 है०, 51 रकबा 0.64 है०, कुल किता 3 रकबा 1.27 है० में से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम शाहपुर तहसील व जिला अलवर व खसरा नम्बर 197 रकबा 0.07 है०, 198 रकबा 0.13 है०, 33 रकबा 0.25 है० 34 रकबा 0.25 है०, 35 रकबा 0.01 है०, 36 रकबा 0.14 है०, 48 रकबा 0.41 है०, 54 रकबा 0.12 है०, 55 रकबा 0.11 है०, 55/709 रकबा 0.09 है०, 59 रकबा 0.44 है०, 60 रकबा 0.31 है०, 61 रकबा 0.40 है०, 65 रकबा 0.32 है०, 66 रकबा 0.28 है०, 67 रकबा 0.35 है०, 68 रकबा 0.26 है०, 69 रकबा 0.35 कुल किता

सहायक कलक्टर (राज०)

Scanned by CamScanner

18 रकबा 4.28 है० में से 1/3 हिस्सा वाके ग्राम धौकडी तहसील व जिला अलवर की जमाबन्दी में वादी का नाम चन्द्र पुत्र लाल सिंह व चन्दर पुत्र लाल सिंह एवं बन्दर पुत्र लाल सिंह के स्थान पर चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र लाल सिंह दर्ज करने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही ना ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश किया गया है। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट चाही गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चन्दर उर्फ बन्दर बनाम सरकार में चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर वाके ग्राम धौकडी तहसील अलवर एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये है एवं इन्ही नामों से इसे जाना जाता है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में चन्दर उर्फ बन्दर का शपथ पत्र पेश किया जिस पर ए से बी चन्दर उर्फ बन्दर की अंगूठा निशानी है, शपथ पत्र विजय पुत्र रामप्रसाद पेश किया जिस पर ए से बी विजय के हस्ताक्षर है। शपथ पत्र हरदान पुत्र रामकिशोर गुर्जर पेश किया जिस पर ए से बी हरदान के हस्ताक्षर है। शपथ पत्र हंसराज पुत्र श्रीराम पेश किया जिस पर ए से बी हंसराज के हस्ताक्षर है। शपथ पत्र ईश्वर सिंह पुत्र फूलसिंह जाटव पेश किया जिस पर ए से बी ईश्वर सिंह के हस्ताक्षर है। जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2074, जमाबन्दी 2071 से 2074, क्षेत्रीय तहसीलदार का प्रमाण पत्र पेश किये। जिन पर प्रदर्श डाले गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपने वाद के समर्थन में पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2074 में खाता संख्या 70 में चन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2074 में खाता संख्या 187 पर बन्दर पुत्र लालसिंह जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज है। वादी चन्दर पुत्र लाल सिंह व बन्दर पुत्र लाल सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसे गांव में दोनों ही नामों से जाना जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में दो नाम

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

होने से वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होती है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी को दो नामों के स्थान पर चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र लाल सिंह का अंकन किया जाना उचित समझते है।

अतः राजस्व रिकॉर्ड में चन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर व बन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर को कलमजन किया जाकर चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर का अंकन किया जावे। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

ासीन अधिकारीः देवेन्द्र सिंह परमार RAS

उनवान

01– चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र श्री लाल सिंह जाति गुर्जर आयु करीब 65 साल निवासी ग्राम धौकडी तहसील व जिला अलवर –वादी

बनाम

01– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, अलवर –प्रतिवादी

वा बाबत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जस्व प्रार्थना पत्र नं० 1/212 तारीख रज्जू 18.10..2018

नांकः 16.10.2019

वादी की ओर से श्री गणपत सिह नरूका, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से X अधिवक्ता की उपस्थिति में स वाद में आज तारीख 16.10.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, ादेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2074 में खाता संख्या 0 में चन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2074 में खाता संख्या 187 पर बन्दर पुत्र लालसिंह जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज है। वादी चन्दर पुत्र लाल सिंह व बन्दर पुत्र लाल सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसे गांव में दोनों ही नामों सें जाना जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में दो नाम होने से वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होती है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में चन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर व बन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुर्जर को कलमजन किया जाकर चन्दर उर्फ बन्दर पुत्र लाल सिंह जाति गुंर्जर का अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर

सहायक कलक्टर अलवर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

Scanned by CamScanner